

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:- ई-32/स्वा./स्वा.निरी./ (862)/2018/

दिनांक:-

आदेश

श्री काली चरन शर्मा, स्वास्थ्य निरीक्षक, खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आसीन्द (भीलवाडा) जिनकी जन्मतिथि दिनांक 11.07.1958 है, को 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर दिनांक 31.07.2018 को राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री काली चरन शर्मा, स्वास्थ्य निरीक्षक के विरुद्ध आज दिनांक तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अधीन कोई भी विभागीय जाँच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं हैं।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहिया विचाराधीन/लम्बित नहीं हैं।


(राकेश शर्मा)


अतिरिक्त निदेशक (प्रशा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:- ई-32/स्वा./स्वा.निरी./ (862)/2018/273

दिनांक:- 16/5/2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राज0 जयपुर।
2. सयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन-अजमेर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाडा को उनके पत्र क्रमांक 2989 दिनांक 26.03.2018 के सन्दर्भ में।
4. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आसीन्द (भीलवाडा) को प्रेषित कर लेख है कि कार्मिक के सेवानिवृत्ति से पूर्व नोटिफिकेशन एवं रिक्वेरी की सूचना प्राप्त कर, पेंशन प्रकरण समय पर तैयार कर, पेंशन विभाग को भिजवाते हुए निदेशालय को अवगत करावे।
5. श्री काली चरन शर्मा, स्वास्थ्य निरीक्षक, द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करे।
7. आदेश पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक (प्रशा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर।